

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

सेवा में,

1. सभी उप निदेशक प्रशिक्षण (क्षेत्रीय), बिहार।
2. क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना।
3. सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण/शिक्षु, बिहार।
4. सहायक निदेशक परीक्षा, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना।
5. सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला एवं LWESहित), बिहार।

पटना, दिनांक-30/05/2025

विषय:- लैंगिक उत्पीड़न रोकने हेतु "आंतरिक शिकायत समिति" के गठन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-17903 दिनांक-29.12.2014 (प्रति संलग्न) के द्वारा लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देश के आलोक में प्रत्येक कार्यस्थल के नियोक्ता को एक "आंतरिक शिकायत समिति" गठित किया जाना है।

अतः निदेश है कि उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुसार अपने-अपने कार्यालय/संस्थान में "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन कर, कृत कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अंदर अवगत सुनिश्चित किया जाय।

अंगुलङ्गक-यथोक्त।

विश्वासभाजन
निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।

ज्ञापक-टी0-1 / स्था0(6)-26 / 2025-1380 / पटना, दिनांक-30/05/2025

प्रतिलिपि-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
नियोजन एवं प्रशिक्षण
बिहार, पटना।